तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2664/2006/जोधपुर वाहजुद्दीन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 08.01.2024

अपीलार्थीगण ने यह नजरसानी प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 282/1996 बउनवानी सरकार बनाम भंवरलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02–05–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में नजरसानी प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन एक वाद संख्या 222/1987 बउनवानी भंवरलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चौखा के खसरा नंबर 716 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा पर उसका कब्जा काश्त संवत् 2000 से बहैसियत खातेदार काश्तकार है जिसका उन्होंने कई बार लगान भी अदा किया है किन्तु धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस मिलने पर ज्ञात हुआ की आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज नहीं की गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश करते हुए वादी को अतिक्रमी होना बयान किया। विचारण न्यायालय ने दावे, जवाबदावे के आधार पर 04 तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी लिपिबद्ध करने के पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–03–1996 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 14/1996 बउनवानी भंवरलाल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–06–1996 से स्वीकार करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया तथा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2664/2006/जोधपुर वाहजुद्दीन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मण्डल के समक्ष अपील संख्या 282/1996 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल व अन्य प्रस्तुत हुई जो मंडल हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02–05–2001 से स्वीकार की गई। राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह नजरसानी प्रार्थनापत्र मय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने नजरसानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–2 भंवरलाल ने विवादित आराजी पर सम्वत् 2020 से कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित मानते हुए वादी भंवरलाल को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया। इसके उपरान्त राजस्व अभिलेख में वादी भंवरलाल का नाम दर्ज होने के पश्चात् वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 भंवरलाल ने दिनांक 13.10.99 को अपीलांट संख्या 1 वहाजुद्दीन को 1250 वर्ग फीट, अपीलांट संख्या 2 अब्दुल खान पुत्र अब्दुल गफार को दिनांक 23.10.99 को 1250 वर्ग फीट, अपीलांट संख्या 3 जुबैदा बानू पत्नि अब्दुल सलीम को दिनांक 13.10.99 को 1250 वर्ग फीट, अपीलांट संख्या 4 मोहम्मद सईद पुत्र अब्दुल गफार को दिनांक 14.12.99 को 2100 वर्ग फीट , अपीलांट संख्या 5 बीबी बानो पत्नि नूर मोहम्मद को दिनांक 13.10.99 को 1250 वर्ग फीट, अपीलांट संख्या 6 लियाकत पुत्र मोहम्मद हनीफ को दिनांक 13.10.99 को 1250 वर्ग फीट तथा अपीलांट संख्या 7 खालिद पुत्र मोहम्मद उमर को दिनांक 13.10.99 को 1250 वर्ग फीट आराजी का पंजीकृत दस्तावेज से बेचान कर दिया तथा इन बेचाननामों के आधार पर दिनांक 15.3.2000 एवं उसके आस पास खरीददारान के नाम नामान्तरकरण भी खुल गए। सभी अपीलांट्स के नाम हुए बेचाननामे की फोटो प्रतियां एवं नामान्तरकरण की फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है। यहां यह लिखना भी उपयुक्त होगा कि राज्य सरकार द्वारा मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जिसका वादी भंवरलाल ने कभी भी कोई अपील या प्रकरण विचाराधीन होने का जिक्र तक अपीलांट्स को नहीं किया और न ही अपीलांट्स को पक्षकार बनाया गया और अन्त में अपील दिनांक 2.5.2001 को स्वीकार हो गई। जिसकी जानकारी वर्तमान अपीलांट्स को नहीं हुई और इसी आराजी का अन्य भाग बिक रहा था जिसकी जानकारी अपीलांट्स को होने पर उन्होंने भी खरीदने का प्रयास किया तब मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने दिनांक 26.3.2006 को बताया कि राजस्व मण्डल से भंवरलाल के खिलाफ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिक्री/टी.ए./2664/2006/जोधपुर वाहजुद्दीन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	दिनांक 2-5-2001 को निर्णय हो चुका है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता होने से विवादित आराजी में उनका स्वत्व निहित है। राजस्व मण्डल ने एक ही आधार पर अपील स्वीकार की कि दावे के अभिवचनों में वादी ने एडवर्स पेजेशन का कथन नहीं किया है जबकि वादी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने का कथन किया है और इस कथन के आधार पर तनकी संख्या-4 कायम की गयी थी। इस प्रकार मण्डल हाजा द्वारा पारित निर्णय में महत्वपूर्ण त्रुटि रही है जो रिकार्ड पर प्रथम दृष्टया ही दिखाई देने वाली त्रुटि होने से नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। अतः धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर नजरसानी प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 2-5-2001 को अपास्त करते हुए अपील को पुनः नम्बर पर दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को विधिसम्मत निर्णय से खारिज किया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तनकीयात पर विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर डिक्री करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। मण्डल हाजा द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है, जिसमें रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली को त्रुटि नहीं होने से तृतीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी मीमों एवं बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन सभी तथ्यों एवं आक्षेपों बाबत् मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2-05-2001 में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। नजरसानी में केवल निर्णय में कोई प्रथम दृष्टया देखते ही भूल प्रकट हो तो ही स्वीकार किये जाने योग्य है। नजरसानीकर्ता द्वारा रिव्यू में उठाये गये आधार पहले ही अपील में तय किये जा चुके है तो वह बिन्दू अभिलेख के मुख पर त्रुटि की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 बाई एस.के. दत्त के 2018 के संस्करण की पुस्तक के पेज 617 के बिन्दू (ज) में यह व्यक्त किया है कि "किसी विवादित बिन्दू पर विधि का गलत दृष्टिकोण या विधि का गलत विवेचन या उचित कानून को लागू करने में असफलता को अभिलेख के मुख पर लगती या प्रकट त्रुटि नहीं कहा जा सकता।" पुर्नविलोकन में उठाये गये आधार पहले अपील में ही तय किये जा चुके है तो वह अभिलेख के मुख पर त्रुटि नहीं है और कोई नया बिन्दू नहीं उठाया तो पुर्नविलोकन का कोई आधार नहीं है। भूल से निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी/अपील/डिकी/टी.ए./2664/2006/जोधपुर वाहजुद्दीन बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

पारित हुआ हो तो उसका पुर्नविलोकन किया जा सकता है परन्तु त्रुटिपूर्ण निर्णय का नहीं। वैसे भी रिव्यू का क्षेत्राधिकार सीमित होता है रिव्यू में मामले के गुणावगुण पर सुनवाई नहीं हो सकती और ना ही अपील में उठाये जाने वाले बिन्दू रिव्यू के माध्यम से पुनः उठायें जा सकते। रिव्यू अपील का माध्यम नहीं हो सकता। यदि निर्णय से कोई व्यक्ति / पक्षकार पीडित है तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। इसके अतिरिक्त भी प्रस्तुत नजरसानी तृतीय पक्षकार की ओर से बिना अधिकार प्रस्तुत की गयी है, जो मूल वाद, प्रथम एवं द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं रहा है एवं विवादित आराजी में से कुछ भाग वर्ग गज के हिसाब से मूल वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 भंवरलाल से क्रय किया गया है, जिनके द्वारा यह नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मण्डल हाजा की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से प्रस्तुत नजरसानी खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहें।

निर्णय प्रति मूल प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य